


81



न्यायालय - श्रीमान पिठासीन अधिकारी महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्रक / 2018 चिवीजन

क्रमांक - ५००३ | २०१८ | उज्जैन | श्रृ. रा -

प्राप्ति कर्ता का श्री निवासी - ग्रम बिरियाखेडी तह. बड़नगर जिला उज्जैन आवेदक
द्वारा प्रत्यक्ष आर. पुस्त. यात्रा
दिनांक १३/७/१८

विरुद्ध काशीराम पिता भागीरथजी कुशवाह
निवासी - बीराखेडी तह बड़नगर जिला उज्जैन
..... अनावेदकगण

पुनरिक्षण आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 भु. राजस्व संहिता

नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेशनुसार सीमांकन प्रकरण क्रमांक
107/अ 12 / 17.18 मे पारित रिपोर्ट दिनांक - 23/06/2018 अनुसार
सम्पूर्ण सीमांकन कार्यवाही से शुद्ध होकर ।

माननीय महोदय,
आवेदक की ओर से पुनरिक्षण आवेदनपत्र निम्नलिखित
सविनय पेश है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि ग्रम बिरियाखेडी तह बड़नगर मे एक भुमि आवेदक के एक मात्र स्वामित्व एवं आधिपत्य की भुमि सर्व नं 632 / 1 छे सो बत्तीस बटा एक रकबा 2.81 दो दशमलव एककासी भुमि ग्रम बिरियाखेडी तह. बड़नगर मे स्थित है। उक्त भुमि को आवेदक के पिता से पैत्रिक रूप मे प्राप्त हुयी है आवेदक के पिता श्री रामलालजी व उनके भाई श्री मोतीलालजी ने उक्त भुमि को स्व ठाकुर साहब श्री ब्रजकिशारजी माथुर एवं कुँवर श्री राजेन्द्रसिंहजी माथुर से कय की थी। उसके बाद आवेदक के पिता व काका ने आपसी बैटवारा किया। आवेदक के पिता श्री रामलालजी को उक्त भुमि हिस्से मे प्राप्त हुयी उसके बाद आवेदक को उक्त भुमि प्राप्त हुयी

यह कि आवेदक की उक्त भुमि का सीमांकन पुर्व मे करवाया जब मोके आवेदक व उसके काका का बैटवार हुआ। अनावेदक एवं उसके अन्य भाई उदयलाल, रमेशचन्द्र, राजाराम, गणपत के मध्य आपस मे बैटवार किया गया तब पटवारी मोजा सीमांकन के लिये आये। जब भुमि से लगी शासकीय भुमि है जिस पर भी अनावेदकगण का कब्जा है। जब अनावेदक ने अपनी भुमि सर्व नं 631/4 के लिये आवेदनपत्र दिया तो अनावेदक की भुमि का सीमांकन करना था। क्यों कि भुमि पुर्व मे संयुक्त थी लेकिन पटवारी मोजा के जाने के बाद दुसरे दिन आवेदक की भुमि मे तब भी आवेदक ने कहा कि आप

3

56

Rs. 5

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण नंबर - निगरानी-5003/2018/उज्जैन/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संलोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>(3)</p>	 <p>प्रशासकीय सदस्य</p>